HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11453/2025

Farukh S/o Bhavar Khan, Aged About 38 Years, R/o Manav Bharti School Ke Pass,ghadsisar, P.s.gangashahar, District Bikaner, Raj. (Presently Ldoged At Jail Jaisalmer)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Gorakh Singh for Mr. Lal Krishna Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Sameer Pareek, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

25/03/2026

01. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा यह निवेदन किया गया कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2025 में व्यक्तिगत मुचलकों के स्थान पर एक लाख रूपये नकद जमा कराने का आदेश दिया गया था, जो राशि प्रार्थी–अभियुक्त ने विचारण न्यायालय में जमा करवा दिये। तत्पश्चात, प्रार्थी–अभियुक्त को रिहा किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2025 का दुरूपयोग नहीं किया है और दिनांक 16.12.2025 को इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी–अभियुक्त को एकलपीठ फौजदारी विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 7109/2025 में पारित आदेश से नियमित जमानत 483 बीएनएसएस के तहत हो जाने पर आदेशानुसार जमानत मुचलके विचारण न्यायालय में प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा पेश कर दिये गये थे। इस न्यायालय द्वारा एक लाख रूपये जो नकद जमा कराने का आदेश दिया गया उसका उददेश्य मुख्य रूप से प्रार्थी–अभियुक्त की उपस्थिति तीस दिन में सुनिश्चित करने बाबत ही था। ऐसी अवस्था में उक्त एक लाख रूपये की राशि प्रार्थी–अभियुक्त को लौटाये जाने का निवेदन किया।

02. सुना गया। इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आदेश दिनांक 19.11.2025 के एक माह के भीतर ही प्रार्थी–अभियुक्त को नियमित जमानत मुचलकों पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.12.2025 से रिहा किया जा चुका है। अन्तरिम जमानत के प्रार्थना पत्र में जो एक लाख रूपये नकद जमा कराने का आदेश दिया गया उसका

उददेश्य मुख्य रूप से प्रार्थी–अभियुक्त की उपस्थिति ही सुनिश्चित करना था, कोई जुर्माना या हर्जाना राशि जमा कराने का आदेश नहीं था। ऐसी अवस्था में प्रार्थी–अभियुक्त जमा करवाई गई एक लाख रूपये की राशि वापस प्राप्त करने का अधिकारी है।

03. अतः प्रार्थी–अभियुक्त की प्रार्थना स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा आदेश दिनांक 19.11.2025 की पालना में एक लाख रूपये नकद जमा करवाये गये हैं और प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा अन्तरिम जमानत की शर्तों का दुरूपयोग नहीं किया गया है तो यह राशि प्रार्थी–अभियुक्त को नियमानुसार लौटा दी जाये।

04. तदनुसार, प्रकरण निस्तारित किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

17-SN LOHRA/-